न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)

वाद संख्या :— 02/546/2015

तारාचन्द बनाम भगवान सहाय वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 13.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.11.2015 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 319/0.07, 533/0.04, 535/0.20, 537/0.21, 539/0.03, 381/0.04, 827/0.04 है. वाके ग्राम कूण्डला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 12.02.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा दिनांक 12.02.16 को पेश होने के उपरांत उनको बार बार मौके दिए जाने पर भी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2015 से प्रचलन में है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 319/0.07, 533/0.04, 535/0.20, 537/0.21, 539/0.03, 381/0.04, 827/0.04 है. वाके ग्राम कूण्डला तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 20.11.2015 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)

Web Copy - Not Official